रजिस्ट्री सं. डी एल-33001/99

REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1999 (श्रावण 16, 1921)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1999 (SRAVANA 16, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनायें	659
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	567
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	5
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनायें	965
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनायें	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ।	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश .. — —	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	733
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनायें और नोटिस	683
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनायें जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	2573
भाग IV— गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किये गये विज्ञापन और नोटिस	877
भाग V— अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	659
PART I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	567
PART I—Section 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	965
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—Section 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 3—Sub Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	733
PART III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	683
PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2573
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	577
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1999

संकल्प

सं. का. 4(7)/97-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :—

1. गठन :—इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे :—

सरकारी सदस्य

अध्यक्ष

1. विद्युत, संसदीय कार्य तथा अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री

उपाध्यक्ष

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा संसदीय कार्य (अतिरिक्त प्रभार) राज्य मंत्री

सदस्य

3. कोयला राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) और संसदीय कार्य (अतिरिक्त प्रभार) राज्य मंत्री

4. सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य (अतिरिक्त प्रभार) राज्य मंत्री

गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

लोक सभा से दो सदस्य

सदस्य

5. स्थान रिक्त है
(13वीं लोक सभा के गठन के बाद नामित किए जाएंगे)

6. स्थान रिक्त है
(13वीं लोक सभा के गठन के बाद नामित किए जाएंगे)

राज्य सभा से दो सदस्य

सदस्य

7. डा. श्रीमती लक्ष्मी प्रसाद, संसद सदस्य

8. श्री जनार्दन यादव, संसद सदस्य

(ख) संसदीय राजभाषा समिति से दो सदस्य

सदस्य

9. स्थान रिक्त है
(13वीं लोक सभा के गठन के बाद नामित किए जाएंगे)

सदस्य

10. श्री राजूभाई ए. परमार
संसद सदस्य (राज्य सभा)
102-104, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली

एफ-4, संस्कृति अपार्टमेंटस
नजदीक रचना सोसाईटी
प्रेम चन्द नगर रोड
सेटेलाईट,
अहमदाबाद-380015
(गुजरात)

(ग) अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं के प्रतिनिधि

सदस्य

11. प्रोफेसर राम लाल पारिख
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था मंच,
माफंत
नेहरू युवा केन्द्र,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

(घ) मंत्रालय, द्वारा नामांकित सदस्य

सदस्य

12. डा. दयाकृष्ण विजय,
कवि एवं आलोचक,
विजय निवास, सिविल लाइन,
कोटा (राजस्थान)

सदस्य

13. डा. कन्हैया सिंह,
हिन्दी साहित्यकार,
राहुल नगर, आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)

सदस्य

14. श्री सुरेश सिन्हा,
नवभारत टाइम्स
आवास
सी-466, सैक्टर 19,
नौएडा
कार्यालय
टाईम्स बिल्डिंग,
7 बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली

सदस्य

15. श्री प्रशान्त मिश्रा
दैनिक जागरण,
193, लोधी काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-3

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद

सदस्य

16. प्रतिनिधि,
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,
एक्स वाई-68 सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली-110023

(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित

सदस्य

17 डा. एस. बादर मौहिद्दीन,
11/बी-1, टीचर्स गार्डन,
अन्नामलाई नगर-608002,
तमिलनाडु।

सदस्य

18 श्री रमन कुमार पाण्डेय,
18-ए, सिंधी सोसायटी,
चेम्बूर, मुम्बई-400071।

सदस्य

19. श्री टी. आर. भट्ट, "प्राजनश्री" 6वां क्रास,
कल्याण नगर, धारवाड़-580007।

अन्य सरकारी सदस्य

सदस्य

20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

21. सचिव, राजभाषा विभाग तथा
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

सदस्य

22. संयुक्त सचिव/निदेशक राजभाषा विभाग

सदस्य-सचिव

23. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

24. उप सचिव (अनुसंधान और सम्मेलन),
संसदीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

25. उप सचिव (विधायी),
संसदीय कार्य मंत्रालय

सदस्य

26. उप सचिव (प्रशासन),
संसदीय कार्य मंत्रालय

2. कार्य क्षेत्र

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ही होगा, बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमण्डल कार्य विभाग का केन्द्रक तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 1999

संकल्प

सं. एफ. 29-24/98-यू. 3—संघ ज्ञापन के नियम 15 तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के नियमों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने डा. सुबेश भट्टाचार्य, भूतपूर्व प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उ. प्र. को संकल्प सं. एफ 29-24/98-यू. 3 दिनांक 23 अप्रैल, 1999 द्वारा पुनरीक्षा समिति का सदस्य मनोनीत किया है ।

डा. सुबेश भट्टाचार्य के नाम में गलती रह गई थी इसलिए डा. सुबेश चन्द्र भट्टाचार्य पढ़ा जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुपालन हेतु अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा निदेशक (अनुसंधान तथा प्रशासन) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

चंपक चटर्जी, संयुक्त सचिव

इस्पात एवं खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1999

नियमावली

सं० 4/1/99 (एम० II एस० एम०)—निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिये 1999 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग –1 (भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इस्पात एवं खान मंत्रालय के पद),

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख'), ग्रुप "क" और

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

वर्ग–2 (केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक 'ख') ग्रुप "क"

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी "ख"।

कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक या दोनों वर्गों के पदों के लिये, प्रतियोगी हो सकता है । जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है, उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन वर्गों के पदों के वरीयता क्रम को स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिये वह विचार किये जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गई वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके ।

विशेष ध्यान (1) : उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने सम्बन्धी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

विशेष ध्यान (2) : दोनों वर्गों के पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव में योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही पदों के लिये आवंटित किया जायेगा ।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किये जायेंगे । उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थाई रूप में की जायेंगी ।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जायेगी।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जायेगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो:—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थाई निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया या वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवारों को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु पहली जनवरी, 1999 को 21 वर्ष हो चुकी हो, किन्तु 32 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1967 से पहले और पहली जनवरी, 1978 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित है और यदि वे कालम 2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जायेगी :—

कालम	कालम
1	2
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप 'क' सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख' वैज्ञानिक 'ख'
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) ग्रुप 'क' सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जायेगी:—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 10 वर्ष तक।

(घ) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(ङ) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(6) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित), ने पहली जनवरी, 1999 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुए शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए है (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी 1999 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक);

(7) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1999 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1999 से 1 वर्ष के अन्दर पूरा होना है)

तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक ;

(8) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली जनवरी, 1999 तक पूरी कर ली है, और जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिये आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जायेगा।

(9) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक अवधि पहली जनवरी, 1999 तक पूरी कर ली है और जिनकी नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई हो तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि वे चयन होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जायेगा।

(10) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिये लागू आरक्षण को पाने के पात्र हों।

(11) दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं विकलांग व्यक्तियों के के लिये अधिकतम 10 वर्षों तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 15 वर्ष तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 13 वर्ष)।

टिप्पणी 1 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी 2 : पैरा 6 (ग)(2) से (9) के अन्दर आने वाले वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं हैं तथा जिन्होंने पहले ही आयु सीमा में छूट प्राप्त करके सिविल क्षेत्र में कोई सरकारी सेवा प्राप्त की हो, आयु सीमा में छूट के लिये पात्र नहीं है।

तथापि, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत किसी सिविल पद पर पहले ही नियमित रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत किसी उच्च पद या सेवा में किसी अन्य रोजगार के लिये भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु छूट के लाभ की अनुमति दी जाती है।

टिप्पणी 3 : अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (2)(ख) के किन्हीं अन्य खण्डों अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिकों, आदि की श्रेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी 4 : उपर्युक्त नियम 6(ग) (11) के अन्तर्गत आयु में छूट के उपबन्धों के बावजूद, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिये निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रीकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण पत्र किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रीकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म, कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए "मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित है।

टिप्पणी 1—उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा, जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर परीक्षा प्रमाण पत्र में या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जायेगा और न ही उसे स्वीकार किया जायेगा।

टिप्पणी 2 – उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये जन्म की तारीख एक बार लेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

ध्यान दें:—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा में त्याग पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती है। किन्तु आवेदन पत्र के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु सम्बन्धी रियायत लेकर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानान्तरण न होने पर रहता, बशर्ते कि उसका आवेदन पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग एतद्द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो ।

7. उम्मीदार के पास :—

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में "मास्टर" डिग्री या

(ख) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से प्रयुक्त भू-विज्ञान में एसोसियेटशिप का डिप्लोमा, या

(ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन) के लिये, या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के पदों) हेतु ।

टिप्पणी 1:—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जायेगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसके स्तर आयोग के मतानुसार ऐसी हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3:—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, तो यह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिये ।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या स्थाई हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है उन्हें यह वचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बन्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन/अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

10. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र को स्वीकार करने तथा उनकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग में उन्हें प्रवेश दिया है, अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा। यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता

चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा।

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया है, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवार के संबंध में किसी अन्य अभियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनका प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उलंघन किया हो, अथवा

(12) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है तथा/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अंतर्गत पहले से ही सेवा में तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार इस संबंध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवक्षता पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अ० पि० श्रेणियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी किन्तु शर्त यह है कि ये उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में अर्हता या चयन साप दंडों में रियायत/छूट दिए बिना की जाती है, उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना कब रू में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग

स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

16. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है ।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किए जाने की संभावना है केवल उन्हीं की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी । डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु० 16.00 (केवल सोलह रुपए) का भुगतान मेडिकल बोर्ड को करेगा।

नोट :—निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा इनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट–2 में दिए गए हैं । विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी ।

18. जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है ।

19. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के संबंध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–3 में दिया गया है ।

हस्ताक्षर
राकेश भारतीय

परिशिष्ट–1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग–1–नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में लिखित परीक्षा ।

भाग–2–आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों का है ।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

विषय	समय	पूर्णांक
1	2	3
(1) सामान्य अंग्रेजी	2 घन्टे	100
(2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र* जिसमें सामान्य भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भू–विज्ञान, स्तरक्रम विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान होंगे ।	3 घन्टे	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र*, जिसमें क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान होंगे ।	3 घंटे	200
(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र**, जिसमें भारतीय खनिज निक्षेप, खनिज अन्वेषण, खनिज अर्थशास्त्र और ज आर्थिक भू-विज्ञान होंगे ।	2 घंटे	150
(5) जल भू-विज्ञान	2 घंटे	150

नोट :—वर्ग 1 और वर्ग 2 के अंतर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे । केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे ।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णत. परम्परागत निबंधात्मक प्रकार की होगी ।

4. सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना होगा । प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे ।

5. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे ।

6. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए । उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

7. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है ।

8. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे ।

9. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

10. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग की और सही हो ।

11. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित ही पूछे जाएंगे ।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर-पत्रों उत्तर पर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2 3, 4, 5, 6, आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

13. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में अपने साथ बैटरी चालित पाकेट केलकुलेटर लाने तथा प्रयोग करने की छुट है । परीक्षा हाल में केलकुलेटर उधार लेने अथवा बदलने की अनुमति नहीं है ।

14. व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार

उम्मीदवार का साक्षात्कार सक्षम तथा निष्पक्ष प्रेक्षकों के एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके समक्ष उम्मीदवार के परिचयवृत का पूर्व अभिलेख होगा । साक्षात्कार का उदेश्य उम्मीदवार ने जिस पद के लिए वह प्रतियोगी है भाग लिए उस की उपयुक्तता को आंकना है । व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार की नैतृत्व, पहलशक्ति और मौखिक जिज्ञासा, व्यवहार-कौशल और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यावहारिक अनुप्रयोग की क्षमताओं, चारित्रिक सत्य निष्ठा और स्वयं को कार्य क्षेत्र के अनुकूल बनाने के प्रति अभिरुचि की क्षमताओं के मूल्यांकन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है । भू-वैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एस-सी० डिग्री स्तर के होंगे और सामानात: प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखें जाएंगे जिनमें उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके । किसी भी विषय की प्रयोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

(1) सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को अंग्रेजी में एक लघु निबंध लिखना होगा । अन्य प्रश्नों का उददेश्य उनकी अंग्रेजी समझने की क्षमता तथा शब्दों के सुनिपुण की परीक्षा करना होगा ।

(2) भू-वैज्ञानिक प्रश्न-पत्र

क—सामान्य भू-उदगम-महाद्वीपीय और महासागर-उनका विभाजन, विकास उदगम । महाद्वीपीय विस्थापन, महासागर विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना पराजलवायु और उनकी विशेषता । समस्थिति पराचुम्बकत्व । विघटनामिकता और उसका भू-विज्ञान में अनुप्रयोग । भूकालान क्रम और भूकाल भुकम्प विज्ञान और भूगर्भ । भूअभिनति । ज्वालामुखीयता । द्वीप चाप गंभीर सागर, खाईयों और मध्य महासागरीय कटक केरल रीट । पर्वतन और महादेश रचना । पर्वतनी चक्र ।

ख—भू-आकृति विज्ञान भू-आकृतिक प्रक्रम, लक्षण और उनके प्राचल । भू-आकृतिक चक्र और उनका अर्थ निर्वाचन स्थलाकृति और संरचनाओं से इनका संबंध । मृदा ।

ग—संरचनात्मक भू-विज्ञान—चट्टानों के भौतिक गुण विरुपण, भ्रंश और फाल्टिंग एण्ड फोल्डिंग—उनकी यांत्रिक प्राथमिक संरचना संरेखण शल्कन और जोड़ । वितल अंतर्वेधी और लक्षण गुम्बद । संस्तरों के शीर्ष तथा तल की पहचान । विषय विन्यास पटल विरुपण । शैल सविन्यासी, विश्लेषण ।

घ—स्तरिकी—स्तरिकी के सिद्धान्त तथा नामपद्धति । विश्व स्तरिकी तथा पुराभूगोल की रुपरेखाएं । भूविज्ञान की विभिन्न प्रणालियों के प्ररुप अनुमान । गोंडवान प्रणाली तथा गोंडवान, महाखंड ।

भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान तथा बंगला देश) की स्तरिकी तथा पुराभूगोल प्रमुख भारतीय शैल समूह में सहसंबंध । भारतीय स्तरिकी में काल विषयक समस्याएं ।

ङ—पुराभूगोल (क) जीवाश्म, उनके प्रकार, संरक्षण, पद्धति तथा प्रयोग । अकशेरुकियों का आकृति-विज्ञान, वर्गीकरण तथा भूविज्ञान संबंधी इतिहास, प्रवाल, भजपाद, पटल कलोम, एमोनाइटोज जेठरपाद, ट्राइलोबाइट्स शूल चर्मी गेस्ट्रोपाईटस और फार्मिनीफर्स ।

(ख) गोंडवाना तथा शिवालिक प्राणिजात पर बल देते हुए कशेरुकियों के प्रमुख समूह । मानक हाथी तथा घोड़ा का विकास वृत ।

(ग) गोंडवाना वनस्पति पर बल सहित—जीवाश्म वनस्पति तथा इसका महत्व और वितरण ।

(घ) सुक्ष्मपुराभूगोल : फोरमिनीफाराइटस के विशेष संदर्भ में इसका महत्व, उनकी परिस्थिति विज्ञान तथा पुरास्थिति विज्ञान ।

(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र 2

क्रिस्टल विज्ञान

क्रिस्टलों की सममिति तत्व तथा वर्गीकरण । प्रक्षेत्र—गोलीय तथा त्रिविमि 32 क्लास (बिंदु समूह) । यमलम तथा क्रिस्टल अपूर्णता ।

ख—वर्णनात्मक खनिज विज्ञान

खनिज के भौतिक, रसायनिक, वैद्युत, चुम्बकीय तथा तापीय गुण धर्म । सिलिकोटों की संरचना तथा वर्गीकरण ।

आलिवीन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप, एमिडोट ग्रुप और मलिलाइट ग्रुप । जरकान, स्फीन सिलिमनाइट, एन्डालुसाइट, कायनाइट, पुखराज, स्टारोलाइट वैरिल, कांडिएराइट दर मैलीन । पाइराक्सीन ग्रुप और एम्फिवोल ग्रुप । बोलेस्टोनाइट और रोडोलाइट ग्रुप तथा स्केपोलाइट ग्रुप । आक्साइडस हाईड्रोक्लाइस फल्डस्पार ग्रुप सिलिका मिनरल्स फेलमपैथाइड ग्रुप । जियेलाइट ग्रुप तथा स्कैपोलाइट ग्रुप । आक्साइडस, हाइड्रोक्लाइडस कार्बोनेटस फास्फेट हैलाइडस सल्फाइम तथा सलफेटस ।

ग—प्रकाशित खनिज विज्ञान .

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धांत । प्रकाशित उप साधन । अपवर्तन, द्विअपवर्तन, विलीप कोण, बहुवर्णता । प्रकाशिक दीर्घवर्तन, प्रकाशिन अक्षीय कोण । प्रकाशन अभिविन्यस परिप्रेक्षण प्रकीधन । प्रकाशित विसंगतियां ।

घ—शैल विज्ञान .

(1) आग्नेय . स्वरुप संरचना, गठन और वर्गीकरण ग्रेनाइट-ग्रेनोडायोराइट । साइनाइट—नेफेलाइन साइनाइट ग्रेवोपेरीडो-टाइट-डुलाइट, डारलाइट, लैप्रोफायर, पैग्माटाइट एप्लाइट, आईजोलाइट कार्बानाइट । रियांलाइट ट्रेकाइट, डौकाइटों ऐण्डेजाइट तथा बेसाल्ट ।

सिलिकेट सिस्टम में प्रावस्था निगम तथा साम्यता । द्विघटक तथा त्रिघटक तंत्र । क्रिस्टलीकरण क्रम । अभिक्रिया सिद्धांत क्रिस्टीलीकरण—अनेकता । विभिन्नता । आरेख । ग्रेनाइटेटस मोनेनिनरविक तथा क्षारीय शैल कार्बनाटाइटस पमाटाइटस तथा लेप्रोफायरों का उदगम ।

(2) अवसादी . वर्गीकरण तथा बनावट । अवसादों का मूल । गठन और संरचना । अवसादी शैलों के प्रमुख समूहों का अध्ययन । अवसादों का यांत्रिक विश्लेषण । निक्षेपण की पद्धतियां । पुराधाराएं तथा श्रेणी विश्लेषण । अवसादों का उदगम क्षेत्र विक्षेपणीय पर्यावरण भारी खनिज तथा उनका महत्व । शिली भवन तथा प्रसंघनन ।

(3) कार्यन्तरित शैल . कायन्तिरण के कारण प्ररुप नियंत्रण संरचना, श्रेणी तथा सलक्षण । कायान्तारी विभेदन । तत्वांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । अभिसंरचना, कणिकाश्म, चानोकाइट, चोलाइटस, शिष्ट, नाइसिसेज और हार्नएम्फसफेसज । गेडसा और औराजमी के संबंध में कायान्तिरण ।

ङ—भू-रसायन विज्ञान

अवयवों का अंतरिक्षी बाहुल्य, पृथ्वी का प्रारम्भिक भू-रासायनिक विभेदन, अवयवों का भू-रासायनिक वर्गीकरण अनुरोध अवयव/जल का रसायन विज्ञान । अवयादों का भू-रसायन विज्ञान भू-रासायनिक चक्र तथा भू-रासायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धांत ।

(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र 3

क—भारतीय खनिज निक्षेप

निम्नलिखित धातु तथा अधातु अयस्कों और खनिजों का भारतीय निक्षेप, जो उनके वितरण, उपस्थिति तथा उद्गम प्रणाली के संदर्भ में हो :—

(क) तांबा, सीसा, जस्त, एल्युमिनियम, मैग्नेशियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, सोना, चांदी, टंगस्टन तथा मोलिब्डनम ।

(ख) अभ्रक, बामक्यलाइट, एस्बेस्टस, बेरीटिस, ग्रेफाइट, जिप्सम, गरिक, मूल्यवान तथा अल्पमूल्य खनिज, उच्चतापसह खनिज, अपघर्षी तथा मत्तिका शिल्प हेतु खनिज, कांच, उर्वरक, सीमेन्ट प्रलेख तथा वर्णन उद्योग निर्माणी पत्थर ।

(ग) कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु उर्जा खनिज ।

ख—खनिज अन्वेषण

पृष्ठीय तथा अपृष्ठीय अन्वेषण की पद्धतियां क्षेत्रगत उपस्कर तथा अन्वेषण हेतु क्षेत्रगत परीक्षण, अवस्क निक्षेप का पता देने वाले निदेश, अवस्क निक्षेपों का प्रतिचयन, आमापन और मूल्यांकन । खनिज अन्वेषण में भू-भौतिक, भू-रासायनिक तथा भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का अनुप्रयोग ।

ग—खनिज अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में खनिजों का महत्व । विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का प्रयोग । मांग, आपर्ति और प्रतिस्थापना । भारत के प्रमुख खनिजों का उत्पादन तथा मूल्य । खनिज उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय पहल । सामरिक क्रांति और अनिवार्य खनिज । संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति । खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति ।

(घ) आर्थिक भू-विज्ञान

खनिज निक्षेप—रूपण प्रक्रिया, स्थानिकीकरण का नियंत्रण तथा वर्गीकरण । आवश्यक धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का अध्ययन जो उनको खनिजीयता, उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में दिया गया हो ।

(5) जल भू-विज्ञान

जल-भूविज्ञान चक्र। भूपर्पटी में जल वितरण। जलीय चक्र में भूजल आकाशी, मेन्मज और मैन्मीय जल और स्रोतों का उद्भव। जलधारी लक्षणों की दृष्टि में शैलों का वर्गीकरण, जल स्तरिकी एकक। भूजल की उपस्थिति के अनुकूल भू-वैज्ञानिक संरचना, भू-जल क्षेत्र। भू-जल भण्डार--जल भर, मितजल-भूत, अक्वीटार्डस। जलभरों का वर्गीकरण।

शैलों के जल-वैज्ञानिक गुणधर्म (भू-जल भंडार)--संरध्रता रिक्त अनुपात, चुम्बकशीलता, पारगम्यता स्टोरेटिविटीआपेक्षिक परिभव, आपेक्षिक धारिता, विसरणशीलता। भू-जल भण्डार के गुणधर्मों की पहचान की पद्धतियां--कूप पद्धतियां तथा प्रयोगशाला प्रविधियों के विश्लेषण द्वारा चुम्बकशीलता और आपेक्षिक परिभव। स्टोरटिविटी की पहचान। भू-जल को गति प्रदान करने वाले बल। भू-जल गति के नियम--डार्सी नियम के भू-जल का पुनर्भरण--कृत्रिम तथा प्राकृतिक पुनर्भरण के नियंत्रक कारकर भू-जल के युक्ति और क्षयी प्रयोग।

भू-जल अन्वेषण की पृष्ठीय तथा उप-पृष्ठीय प्रविधियां--भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिक--जल संतुलन। भू-जल निष्कर्षण की प्रविधियां (कूप-प्ररूप सर्वाधिक उपज हेतु विभिन्न प्रकार के शैल-क्षेत्रों में कूप निर्माण की पद्धतियां)। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों--घर उद्योग तथा सिंचाई संबंधी के संदर्भ में भू-जल के रासायनिक के लवण जल प्रदूषण।

परिशिष्ट—2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मैडीकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारण मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग कर्मचारियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए स्तर में छूट दी जाएगी।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लायें। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और मापदण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठे या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ हैण्ड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। वह फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा असफल का (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्स) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तथा उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा। और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84–89, 86–93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान दें :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधी किलोग्राम का उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(1) सामान्य (जनरल) : किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटि) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखें अथवा साथ लगी संरचनाओं (कन्टिगुअस स्ट्रक्चर) का कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) : दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकरण द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंखों की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

चश्मे के साथ चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा।

दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
6/9 अथवा 6/6	6/9 अथवा 6/12	0.6	0.8

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित) — 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेण्डर सहित) + 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फण्डस परीक्षा जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवेचना पर फण्डस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : 3 कलर विजन

(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए। ला लैंटर्न एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा —

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि०मी०	13 मि०मी०
3. उद्भापन काल	5 सेकण्ड	5 सेकण्ड

भारतीय भू–विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध भू–विज्ञानी (कनिष्ठ) तथा सहायक भू–विज्ञानी तथा केन्द्रीय भूमि–जल बोर्ड से सम्बन्ध कनिष्ठ जल तथा भू–विज्ञानी तथा सहायक जल–विज्ञानी के पदों के लिए रंग, प्रत्येक ज्ञान तथा आंखों से सम्बंधित सभी चिकित्सा मानकों का स्तर ऊंचा होगा।

(3) लाल संकेत, हरे संकेत और रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। शिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एंडिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है। कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फिल्ड आफविजन) : सम्मुख विधि (कन्फ्रटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परभापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइण्डनेस) : केवल विशेष मामलों को छोड़ कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैण्डर्ड टैस्ट निश्चित नहीं है। मैडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। परन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी (6) दृष्टि की तीक्ष्णता में भिन्न आंख की दिशाएं (आक्यूलर कण्डीशन्स) :

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी कोया बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रिक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता में कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए ।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) रोहे जब तक भयानक हों, साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए ।

(ग) भेंगापन जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो ।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति—एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी ।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर) :

ब्लैड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल मैक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आंकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लैड प्रेशर लगभग 100+आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आंकलन में 110+आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

विशेष ध्यान सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर और 90 एम० एम० के ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्धता मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगना चाहिए कि घबराहट में (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है, ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्स—रे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय (क्लिरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लैड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका .

नियमित पारा वाले दाबमापी (मर्करी मानोमीटर) किस्म का उपकरण (ईस्टमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो । बांह थोड़ी—बहुत होरीजोंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अंदर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाने चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैला कर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा—दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों—बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता से जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और उसके बाद इसमें से धीरे—धीरे हवा निकाली जाती है हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई देने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है । वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनिया हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाए यह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इस से रीडिंग गलत होती है । यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । कभी—कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है दाब गिरने पर वे गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मैडिकल बोर्ड को किस उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा । और मधुमेह (डायबिटीज), के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड को उम्मीदवार का ग्लुकोष मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनैस के स्टण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता इसका ग्लूको मेह (अमधुमेही मान डायबटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला को सुविधाएं हों । मैडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लीनिकल रिपोर्ट (लेबोरेटरी परीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर माडकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतरिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख—रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवता पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने

पर प्रस्तुति की तारीख से 6 हफ्तों बाद अरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है । यदि काम की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेष द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से ही सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । यह उपलब्धि भारतीय रेल, भंडार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं सेवा इंजीनियरिंग सेवा, तार इंजीनियरिंग सेवा, तार यायायात सेवा, ग्रुप (ख) केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप "क" और केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है । चिकित्सा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन	यदि फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिये योग्य ।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोर्ड, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव है ।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसिबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिये योग्य ।
(3)	सैन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिम्परिक मैम्ब्रेन छिद्र	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान से टिम्पनिक मेम्ब्रन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है। (2) दोनों कानों में मार्जिनल या एट्रिक छिद्र होने पर अयोग्य । (3) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(4)	कान के एक ओर से/ दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सबनार्मल श्रवण ।	(1) किसी एक कान से सामान्य रूप में एक ओर से मस्टायड केविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सब नार्मल श्रवण वाले कान मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिये योग्य । (2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणत श्रवणयन्त्रा लगा कर अथवा बिना लगाये सुधार कर 30 डैसिबल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिये योग्य ।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया बिना आपरेशन वाला ।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिये अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(6)	नासापट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एजलिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा । (2) यदि लक्षणों सहित नासपुट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(7)	टांसिल्स और अथवा स्वरयंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा ।	(1) टांसिल और अथवा स्वर यंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । (2) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थाई रुप से अयोग्य ।
(8)	कान, नाक और गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर ।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप से अयोग्य । (2) दुर्दम ट्यूमर अयोग्य ।
(9)	आस्टोकिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिमल के अन्दर होने पर योग्य ।

1	2	3
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष	(1) यदि कामकाज में बाधक न हो तो योग्य। (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य अस्थाई रूप से अयोग्य।
(11)	नेजल पोली	

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलासी नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में है या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिये जरूरी होने पर नकली दांत लगे है या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक है या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसिल बढ़ी हुई वेरिकोसिल वेरिकाज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उनके अंगों, हाथ पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति है स्वतन्त्र रूप से हिलती है या नहीं।

(झ) उसके कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात संरचना या दोष नहीं है।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़े की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिये साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिये।

यह उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा के संचालन में उन उम्मीदवारों को एक्स-रे परीक्षण से छूट दी जायेगी जो किसी सरकारी अस्पताल या इन परीक्षणों के लिये प्राधिकृत किसी अस्पताल से चिकित्सा परीक्षा की तारीख से विगत 12 महीनों के दौरान पहले ही एक्स-रे परीक्षण करा चुके हैं।

इसके लिये शर्तें यह होंगी कि पहले कराए गए एक्स-रे परीक्षा उपयुक्त आशय की पूर्ति करती हो तथा इससे उम्मीदवार कि व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि होती हो अर्थात् यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई एक्स-रे परीक्षा रिपोर्ट स्वयं उसके द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट है।

इस बात की जिम्मेदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी कि पिछले 12 महीनों में उसने एक्स-रे परीक्षा कराई थी और इस सम्बन्ध में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उसे योग्य घोषित किया गया था।

उम्मीदवार की शारीरिक योग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मैडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें उक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मैडिकल बोर्ड के खिलाफ अपील करने के लिए कोई हक नहीं है किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील को इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मैडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करें तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि उसमें संबंधित मेडिकल प्रैक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षण के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनैस) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैन्डर्ड से संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति के पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति

प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं है कि उसे कोई ऐसी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उससे अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) /सहायक भू-विज्ञानी और कनिष्ठ भू-जल विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) सहायक भू-जल विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किये जाएंगे, उन्हें भारत में या भारत को बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा । ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए ।

ऐसे मामले में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं किया जा सकता है ।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के अयोग्य बनाये जाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए स्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिये हुए नोट में, उल्लिखित चेतावनी को और उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना नाम पूरा लिखें ।

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी , नागालैण्ड जन-जाति आदि में से किसी जाति से संबंधित है जिनका औसत कद दूसरों से कम होता है । "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए । यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताएं ।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्डस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म एर्थेडिसाइटिस हुआ है ?

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण किसी किस्म की अशक्तता (नर्वसनेस) हुई ?

5. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें:—

1	2	3	4	5	6	7	8
यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण	यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं और उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

6. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताएं किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
मेरे सामने हस्ताक्षर किए
बोर्ड के अध्यक्ष के
हस्ताक्षर

नोट — उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्ति हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन) अलाउन्स याउपदान (ग्रेच्युटी) सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) (उम्मीदवार का नाम)
की शारीरिक परीक्षा या मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

13. सामान्य विकास सामान्य खराब
पोषण : पतला औसत मोटा
वजन कद (जूते उतार कर)
वजन में कोई हाल में हुआ परिवर्तन
तापमान

छाती का घेर ——————————

1. पूरा सांस खींचने पर ——————————
पूरा सांस छोड़ने पर ——————————

2. त्वचा—कोई बाहरी बीमारी ——————————

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी ——————————
(2) रतौंधी ——————————
(3) कलर विजन का दोष ——————————
(4) दृष्टि के क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन)——————
(5) फंडस की जांच ——————————
(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी)——————
(7) त्रिविम संगलन की योग्यता ——————

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलएक्सम
दूर की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
पास की नजर	दा० ने०		
	बा० ने०		
हाइपरमट्रोपिया	दा० ने०		
(व्यक्त)	बा० ने०		

4. कान निरीक्षण सूचना
दायां कान बायां कान
5. ग्रन्थियां थाईरायड

6. दांतों की हालत

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)—का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमान्यता का पता लगा है। यदि पता लगा है तो असमान्यता का पूरा ब्यौरा दें—

8. परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक रीजर)
गति (रेटें) :
खड़े होने पर
25 बार कुदाए जाने के बाद
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद

(ख) ब्लड प्रेशर सिस्टालिक
डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेरा स्पर्श सहायता
हर्निया
(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर
तिल्ली गुर्दे
ट्यूमर
(ख) रक्तार्श
भगंदर

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक असामान्यता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमिटर सिस्टम)
कोई असामान्यता .....

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनेटो यूरिनरी सिस्टम) .....
हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्टस

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती के एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट ....

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट —महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय की गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें विनियम 9)।

15. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए यह अयोग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य ।

नोट —बोर्ड को अपना निर्णय निम्नलिखित तीन वर्ग में किसी एक में रिकार्ड करना चाहिए।

(1) योग्य ....

(2) .... के कारण योग्य

(3) .... के कारण अस्थाई रूप से अयोग्य

स्थान .... अध्यक्ष ....

तारीख .... सदस्य ....

परिशिष्ट 3

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण

1. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा 'परीक्षण' उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतनमान :—

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ वेतनमान) रुपए 8,000–275–13,500 ।

(2) भू-विज्ञानी (वरिष्ट) (वरिष्ठ वेतनमान) रुपए 10,000–325–15,200 ।

(3) निदेशक (भू-विज्ञानी)—रुपए 12,000–375–16,500 ।

(4) निदेशक (चयन ग्रेड)—रुपए 14,300–400–18,300 ।

(5) उप महानिदेशक/(भू-विज्ञानी)–रुपए 18,400–500–22,400 ।

(6) वरिष्ठ उप महानिदेशक (परिचालन)—16,500 ।

(7) महानिदेशक–रुपए 26,000/– (नियत) ।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्त वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्त लागू होगी।

(छ) भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु, चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) वेतन का निर्धारित वेतनमान : रु० 6,500–200–10,500।

(घ) भू-विज्ञानी (ग्रुप क—कनिष्ठ वेतनमान) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण

में सहायक भू-विज्ञान निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाए ।

(ङ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही है जिनका उल्लेख क्रमशः सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में किया गया है ।

(च) भविष्य निधि की शर्तें वहीं है जिनका उल्लेख सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में किया गया है ।

(छ) सहायक भू-वैज्ञानिकों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी) ग्रुप "क"—

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा। उस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में विहित वेतनमान—

(1) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी)—रु० 8,000–275–13,500 ।

(2) वैज्ञानिक "ग" (वरिष्ठ जल-भू-विज्ञानी)—रु० 10,000–325–15,200 ।

(3) वैज्ञानिक "घ" —रु० 12,000–375–16,500 ।

(4) क्षेत्रीय निदेशक—रु० 14,300–400–18,300 ।

(5) सदस्य—रु० 18,400–500–22,400 ।

(6) अध्यक्ष—रु० 22,400–525–24,500 ।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी ।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है ।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी ।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियो को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है ।

(2) सहायक जल-भू-विज्ञानी ग्रुप 'ख'

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारो को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक समझा गया तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु० 7500–250–12000 ।

(ग) कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी (ग्रुप 'क') के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशत समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमो के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड को सहायक जल-विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा दी जाएगी ।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमो तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है ।

(च) सहायक जल भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 19th July 1999

RESOLUTION

No. F. 4(7)/97-Hindi.—On expiry of tenure of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs :—

(1) Composition

The following will be the Official and Non-Official Members of the Committee :—

Official Members

Chairman

1. Minister of Power, Parliamentary Affairs & Non-Conventional Energy Sources

2 Minister of State for Petroleum and Natural Gas & Parliamentary Affairs (Additional Charge)

Vice-Chairman

Members

3. Minister of State for Coal (Independent charge & Parliamentary Affairs (Additional Charge)

4. Minister of State for Information and Broadcasting & Parliamentary Affairs (Additional charge)

Non-Official Members

(a) Members of Parliament
Two Members from Lok Sabha

Vacant

5. (Will be nominated after Constitution of 13th Lok Sabha)

6. Vacant
Two Members from Rajya Sabha

Members

7. Dr. Y. Laxmi Prasad
Member of Parliament

8. Shri Janardan Yadav
Member of Parliament

(b) Two Members from Parliamentary Committee on Official Language

9. Vacant (Will be nominated after Constitution of 13th Lok Sabha).

10. Shri Rajubhai A. Parmar
Member of Parliament (Rajya Sabha)
Local Address
102–104, South Avenue,
New Delhi.

Permanent Address
F-4, Sanskriti Apartments,
Near Rachna Society, Prem
Chand Nagar Road, Satelite,
Ahmedabad-380 015
(Gujarat)

(c) Representative from All India Hindi Institutions

11. Prof. Ram Lal Parikh
Chairman,
Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Manch,
C/o Nehru Yuva Kendra, Chanakyapuri,
New Delhi.

(d) Members nominated by the Ministry

Members

12. Dr. Dayakrishan Vijay,
Poet and Critic,
Vijay Nivas, Civil Line,
Kota (Rajasthan).

13. Dr. Kanhaiya Singh
Hindi Sahityakar,
Rahul Nagar, Ajamgarh,
(Uttar Pradesh)

14. Shri Suresh Sinha
Navbharat Times
Residence
C-466, Sector-19,
Noida.

Office
Times Building,
7, Bahadur Shah Jafar Marg.
New Delhi.

Members

15. Shri Prashant Mishra
Dainik Jagran
193, Lodi Complex,
New Delhi-3.

(e) Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

16. Representative,
Kendriya Sachivalya Hindi Parishad,
XY-68 Sarojini Nagar,
New Delhi-110023.

(f) Nominated by Ministry of Home Affairs

Members

17. Dr. S. Khadar Mohiddin
11/B-1, Tobacco Garden,
Annamalai Nagar-608 002
Tamilnadu.

18. Shri Ratan Kumar Pandey
18, Sirdhi Society,
Chembur, Mumbai-400 071.

19. Shri T. R. Bhatt,
'Prajanshri' 6th Cross,
Kalyan Nagar,
Dharwar-580 007.

Other Official Members

Members

20. Secretary, Ministry of
Parliamentary Affairs

21. Secretary
Department of Official Language and
Hindi Advisor to the Government of
India

22. Joint Secretary/Director
Department of Official Language

Member-Secretary

23. Joint Secretary
Ministry of Parliamentary Affairs

Members

24. Deputy Secretary (R&C)
Ministry of Parliamentary Affairs

25. Deputy Secretary (Leg.)
Ministry of Parliamentary Affairs

26. Deputy Secretary (Admn.)
Ministry of Parliamentary Affairs

2. Functions

The function of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi in Official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and Implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) from time to time.

3. Tenure of Office

Tenure of Office of the Samiti will be for a period of three years from the date of its composition, provided that :—

(a) Any Member who is Member of Parliament as soon as he ceases to be a Member of Parliament, will also cease to be a Member of this Samiti.

(b) Ex-Officio Members of the Samiti will continue to be Member till they hold the post, by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If any vacancy is caused on the Samiti due to resignation or death etc. of any Member, the appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term.

4. General

Head Office of the Samiti will be in New Delhi but Samiti can hold its meeting at any other place also.

5. T.A. and other allowances

T.A. and D.A. will be paid to the non-official members for attending the meetings of the Committee according to the scheduled rates and Rules as laid down in the Office Memorandum No. 11/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22 January, 1987 and as amended by the Government of India from time to time.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEO RAJ TIWARI
Jt. Secy.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEO RAJ TIWARI
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 28th June 1999

RESOLUTION

No. F. 29-24/98-U-3.—Whereas in pursuance of Rule 15 of the Memorandum of Association and Rules of Indian Council of Historical Research (ICHR), the Government of India nominated Dr. Sibesh Bhattacharya, Ex-Professor, University of Allahabad, U. P. as a member of the Review Committee vide Resolution No. F. 29-24/98-U-3 dated 23rd April, 1999.

The name of Dr. Sibesh Bhattacharya which has been misspelt may be read as Dr. Sibesh Chandra Bhattacharya.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to Chairman, Member Secretary and Director (Research & Administration) of ICHR for compliance.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

CHAMPAK CHATTERJI
Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

New Delhi, the 7th August 1999

RULES

No. 4/1/99-M.II(SM).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1999 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Water Resources, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines).

(i) Geological (Junior), Group A, and

(ii) Assistant Geologist, Group B.

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources).

(i) Jr. Hydrogeologists (Scientist B) Group A.

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B.

2. A candidate may compete for any one or both the categories of posts for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies for both the categories of posts on the result of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the categories of posts for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N.B. (i) No request for addition/alteration in the preference indicated by a candidate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (ii) The candidates competing for both the categories of Posts will be allotted to the Posts strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and the Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Appointment on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

5. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma Sri Lanka, East Africa countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on 1st January, 1999 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1967 and not later than 1st January, 1978.

(b) the upper age limit will be relaxable upto a maximum of 7 years in the case of Government servants, if they are employed in a Department mentioned in Column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior) Group A Assistant Geologist, Group B.
Central Ground Water Board	Jr. Hydrogeologist (Scientist B) Group A Assistant Hydrogeologist, Group B.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of five years, if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to 31st day of December, 1989.

(iii) upto a maximum of ten years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services pepsrsonnel disabled in operations

during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(vi) upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years of Military Services as on 1st January, 1999 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1999 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(vii) upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years of Military Service as on 1st January, 1999 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed withn one year from 1st January, 1999 otherwise than by way of dismissal of discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military service or (iii) on invalidment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(viii) upto a maximum of 5 years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military service as on 1st January, 1999 and whose assignment has been extended beyond 5 years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(ix) upto a maximum of 10 years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of Military Service as on 1st January, 1999 and whose assignment has been extended beyond 5 years, and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(x) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

(xi) upto a maximum of 10 years (15 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and 13 years for OBC) in the case of blind, deaf-mute and Orthopaedically handicapped persons.

Note I—The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Note II—Candidates falling under Rule 6(c) (ii) to (ix) who do not belonge to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not eligible for age concession if they have already joined any Government job on civil side after availing of the age concession.

The Ex-servicemen who have already secured regular employment under the Central Govt. in a civil post are, however, permitted the benefit of age relaxation as admissible to Ex-servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Government.

Note III—Candidates belonging to Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Rule 6(c) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen, persons domiciled in the State of J&K etc. will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

Note IV—Notwithstanding the provision of age-relaxation under Rule 6(c)(xi) above, a physically handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirement of physical and medical standards for the concerned Services/posts to be allocated to the physically handicapped candidates by the Government.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by the Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the institution include the alternative certificate mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidate should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently (or at any other Examination of the Commission) on any ground whatsoever.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation, if they do not produce proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application form which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the result of the written part of the examination.

Note II.—In exceptional cases the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examinaton.

Note III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

9. All candiates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communicaion is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

10. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate for the examination and his eligibility, or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination shuold ensure that they fulfil all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission, viz. Written Examination and Interview Test, will be purely provsional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination or Interview Test, it is found that they do not fulfiil any of eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of —

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harrassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instruction issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition ot rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

3. Candidate who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes or Other Backward Classes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summonned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. (i) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) The candidates belonging to any of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or the Other Backward Classes, may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for selection to the services.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to any relaxations/concessions in the eligibility or selection criteria, at any stage of the examination, shall not be adjusted against the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided

by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribed is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 (Rupees Sixteen only) to the Medical Board concerned at the time of the Medical Examination.

Note :—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment in Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

18. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

RAKESH BHARTIYA, Under Secy.

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following Plan :—

Part I.—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

Part II.—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks.

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Subject	Duration	Maximum Marks
1	2	3
(1) General English	2 hrs.	100
(2) Geology Paper I, Comprising General Geology, Geomorphology, Structural Geology, Stratigraphy and Palaeontology	3 hrs.	200
(3) Geology Paper II, Comprising Crystallography, Mineralogy, Patrology and Geo-Chemistry	3 hrs.	200
(4) Geology Paper III Comprising Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration, Mineral Economics and Economic Geology	2 hrs.	150
(5) Hydrogeology	2 hrs.	150

Note :—Candidates competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subject at (1) to (3) and (5) above.

3. THE EXAMINATION IN ALL THE SUBJECTS WILL BE OF CONVENTIONAL (ESSAY) TYPE.

4. All Question papers must be answered in English. The Question Papers will be set in English only.

5. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

6. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

8. If a candidate's handwriting is not easily legible, reduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

9. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

10. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subject of the examination.

11. In the question papers wherever necessary questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering question papers.

13. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for answering papers in this examination. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

14. Interview for Personality Test : The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview to assess his suitability for the posts for which he has competed. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write a Short Essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words.

(2) GEOLOGY PAPER I

A. General Geology—Origin of the Earth, continents and Oceans—their distribution evaluation and origin, Continental drift, Ocean spreading and concept of plate tectonics Palaeoclimates and their significance. Isostasy, Palaeomagnetism, Radioactivity and its application to geology. Geochronology and age of the Earth. Seismology and interior of the Earth Geosynoenes. Volcanism Island arcs. deep-sea trenches and midoceanic ridges. Coral reefs Orogeney and epirogeney Orogenic cycles.

B. Geomorphology—Geomorphic processes, feature, and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Topography and its relation to structures Soils.

C. Structural Geology—Physical Properties of rocks. Deformation; Faulting and folding—their mechanics, Primary structures. Lineation foliation and joints Plutons, diapirs and salt domes. Recognition of top and bottom of beds, Un-conformities. Diastrophism. Petrofabric analysis.

D. Stratigraphy—Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of world stratigraphy and palaeogeography. Type section of the various geological system Gondwana System and Gondwanaland

Stratigraphy and Palaeogeography of the Indian sub-continents (India, Pakistan and Bangladesh), Correlation of the major Indian formations, are problems in Indian stratigraphy.

E. Palaeontology—(a) Fossils, their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates; coarls brachiopoads, lamellibranch ammonities. gastopods, trilobites, echinoderms, graptalities and foraminifers.

(b) Principal groups of vertebrates with emphasis on Gondwana and Siwalik faunas. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(c) Fossil flora with emphasis on Gondwala flora and its significance and distribution.

(d) Micropalacontology, its importance with special reference to forminifers, their ecology and palaeoecology.

(3) GEOLOGY PAPER II

A. CRYSTALLOGRAPHY

Symmetry elements and classification of cryst, is, Projections-pherical and Stereographic; 32 classes (Point groups) Twinning and crystal imperfections.

B DESCRIPTIVE MINERALOGY

Physical, chemical electrical magnetic and thermal properties of minerals' Structure and classification of silicaes. Olivine group, Garnet group, Epidote group and Mellitite group Zircon, Sphene. Silimanite, Andalusite, Kyanite Topaz Staurolite. Beryl. Cordierite, Tourmaline, Pyroxene group and Amphibole groups. Wollastonite and Rhodonite. Mica group, Chlorite group and Clay minerals. Feldspar groun, Silica minerals. Felsppathiod group, Zeolite group and Seapoplite group, Oxides, Hydroxides, Carbonates, Phosphates, Halides Sulphides and Sulphates.

C. OPTICAL MINERALOGY

General principles of optics, Optical accessories, Refringence, Birefriengence, Extinction angles, plecochroism, Optical elipsoid, Optical axial angle optic orientation. Dispersion Optic anomalies.

D. PETROLOGY

(i) Igneous : Forms, structure, texture and classification Granite-Gragodiorite Diorite, Syaniteh, Nepphline-Syenite, Gabbro-Periodotite-Dunite Dolerite, Lamprophyre, Pegmatite, Aplite, Ijolite and Carbonatite, Rhyolite, Trachyte Dacite Andesite and Basalt.

Phase rule and equilibrium in silicate system. Two-component and three-component systems. Order of Crystallisation Reaction principle. Crystallisation of magmas, Diversity Variation diagrams. Origin of granites, monomineralic and alkaline rocks, carbonatites, pegmentites and lamprophyres.

(ii) Sedimentary : Classification and composition, Origin of sediments. Textures and structures, Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of disposition, Palaeocurrents and Basin-analysis Provenance of sediments. Depositional environment. Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(ii) Metamorphic : Agents, types, controls, structures grades and facies of matemorphism Metamorphic differentiation. Metasomatism and Granitisation Migmatites, Granulities, charnockites amphilboitles, schists, gneisses and hornfels Metamorphism in relation to magma and orogeny.

E. GEOCHEMISTRY

Cosmic abundance of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements. Geochemistry of water. Geochemistry of sediments, Geochemical cycle and principles of geochemical prospecting

(4) GEOLOGY PAPER III

A. INDIAN MINERAL DEPOSITS

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution mode of occurrence and origin :

(a) Copper, Lead Zinc, Aluminium, Magnesium, Iron, Manganese, Chromium, Gold, Silver, Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum, Ochre, Precious and Semi-precious minerals, refractory minerals, abrasives and minerals for ceramics, glass fertiliser-cement, paint and pigment industries and building stones.

(c) Coal petroleum, natural gas and atomic energy minerales.

B. MINERAL EXPLORATION

Method of surface and sub-surface exploration, field equipment and field tests used for exploration, guides for locating ore deposits. Sampling, assaying and evaluation of ore deposits. Application of geophysical, geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

C. MINERAL ECONOMICS

Significance of minerals in national economy. Use of various minerals in manufacturing industries. Demand, supply and substitutes. Production and price of major minerals in India. International aspects of Mineral industries Strategic, critical and essential mineral Conservation and national mineral policy India's status in mineral production.

D. *ECONOMIC GEOLOGY*

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and classification. Study of important metallic and non metallic minerals with reference to their mineralogy, mode of occurrence and distribution.

(5) HYDROGEOLOGY

Hydrological cycle. Distribution of water in the earth's crust. Ground Water in hydrological cycle. Origin of ground water, meteoric, juvenile and magmatic water, springs. Classification of rocks with respect of water bearing characteristics. Hydro-stratigraphic units. Geological structures favouring ground water occurrence. Ground water provinces. Ground water reservoirs—Acquifers, acquicludes acquitards, classification of acquifers.

Hydrological properties of rocks (Ground water reservoirs) porosity, void ratio, permeability, transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, diffisivity. Methods of identification of ground water reservoir properties—permeability and specific yield/storativity by discharging well methods and laboratory techniques. Forces causing ground water movement. Laws of ground water movement—Darcy's law. Ground water recharge—artificial and natural, factors controlling recharge conjunctive aand consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration—geological and geophysical—water balance. Techniques of ground water extraction (Types of wells, methods of well construction in different types of rocks for best yield). Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational, water pollution.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These rergulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidates is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect, without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his hand. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will than be lowered to hang losely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6 The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(i) General.—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or continuous struoture of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acquity:—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one of the distant, the other for near vision Each eye will be examined separately

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be as follows : —

Distant Vision		Near Vision	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0.6	0.8

Note (1) -Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. The total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed+4.00D.

Note (2)—*Fundus Examination* : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and result recorded.

Note (3)—*Colour vision* : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour Perception	Lower Grade of Colour Perception
1. Distance between the lamp and candidate	4.9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture	1.3 mm.	1.3 mm.
3. Time of exposure	5 Sec.	5 Sec.

For the post of Geologist (Jr.) and Assistant Geologist concerning Geological Survey of India and Junior Hydrogeologist and Asstt. Hydrogeologist concerning Central Ground Water Board, the medical standard in regard to colour perception and all other tests relating to eyes will be of high order.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision while either of the two test may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tester by only one of the test, both the tests should be employed.

Note (4)—*Field of vision*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

Note (5)—*Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test, e.g., recording of visual acquity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

Note (6)— (a) *Ocular conditions other than visual acquity*—Any organic disease or a progressive reactive error which is likely to result in lowering the visual acquity should be considered as a disqulification.

(b) *Trachoma*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—Where the presence of binocular vision is essential squint, even if the visual acquity is of a prescribed standard should be considered as disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion ragarding Blood pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or othewise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope it then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastoeic pressure. The measurements should be taken in fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and re-appear at still lower level. This silent Gap may cause error in readings).

8. The urine passed in the presence of the examiner, should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms sugges ive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will issue its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit till confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if, the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that accounts, provided he/she has no progressive

disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard—

1	2	3
(1)	Market or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical job the deafness is upto 30decible in higher frequency.
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical non-technical and job if the deafness is upto 30 decible in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) one ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation, in both ears should be given a chance by declaring him temporary unfit and then he may be considered under 4(ii) below.
		(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
		(iii) Centre perforation both ears—Temporarily unfit.
(4)	Ears with Mastoid cavity abnormal one side/ on both sides	(i) Either ear normal hearing fother ear, mastoid cavity Fit of both technical and non-technical jobs.
		(ii) Mastoid cavity of both sides, Unfits for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.
(5)	Persistently discharging ear operated unoperated	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6)	Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal Septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances indivisual cases.
		(ii) If deviated nasal Septum if present with symptoms emporarily unfit.
(7)	Chronic Inflammatory conditions of tonsils and or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and or Larynxs Fit.
		(ii) Hoarseness of voice of severe degree is present then Temporarily Unfit.
(8)	Benign or locally malignaut tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours Temporarily Unfit.
		(ii) Malignant Tumour Unfit
(9)	Otoscalrosis	If the hearing is within 30 decibles after operation or with the help of hearing aid Fit.
(10)	Congenital defect of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions –Fit.
		(ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11)	Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with deatures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose vains or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congential malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

It is also stated that while conducting medical examination of the candidates called for the interviews, the candidates who have already undergone X-Ray Examination in a Govt. Hospital or a hospital authorized for such tests in the preceding twelve months as on the date of medical examination shall be exempted from X-Ray test.

This will also be subject to the conditions that the X-Ray Examination performed earlier fully serves the purpose and the identity of the individual is established beyond doubt i.e. it is certified that the X-Ray report produced by the candidate is the report of X-Ray examination performed on the candidate himself/herself.

The onus of proving that the candidate underwent X-Ray Examination in the preceding 12 months and was declared fit on this account as per guidelines given above is on the candidates himself/herself.

The decision of the Chairman of the Central Standing Medical Board (conducting the medical examination of the concerned candidate) about the fitness of the candidate shall be final.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

Note.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine the fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate had already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.)/Assistant Geologist and Junior Hydrogeologists/Assistant Hydrogeologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a Medical Board considered that a minor appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considered that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Bord's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidate who are to be declared temporarily 'Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....

2. State your age and birth place .....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese; Nagaland Tribes, etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is "Yes" state the name of the race.

(b) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease lung fainting attacks, rhematism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or anyother cause ?

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

1	2	3	4
Father's age if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No of brothers dead, their ages and cause of death
5	6	7	8
Mother's age if living, and state of helth	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages and cause of death

6. Have you been examined by a Medical Board before ?

7. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you have examined for.

8. Who was the examining authority ?

9. When and where was the Medical Board held ?
.....

10. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or, if known.....

I declare all the above answers to be the best of my belief, true and correct

Candidate's Signature .....

Signed in my presence

Signature of Chairman of the Board.

Note.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims of superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good.....Fair .....
Poor .....

Nutrition : Thin.....Average ..... Obese.....
Height (without shoes) .....Weight .....

Any recent change in weight .....

Temperature .....
Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : any obvious disease .....

3. Eyes .....

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of Vision .....

(5) Fundus Examination .....

(6) Visual Acuity .....

(7) Ability for stereoscopic vision .....

Acuity of vision	Naked eye	with glasses	Strength of glasses Sph. eye Axis
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear .....
..... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid

6. Condition of teeth

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory system .....

(a) Heart and organic lesions .....

Rate : Standing .....

After hopping 25 times .....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic .....Diastolic

9. Abdomen : Girth .....
Tenderness .....
Hernia .....

(a) Palpable Liver ..... Spleen
Kidneys ..... Tumours

(b) Haemorrhoids ..... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities .....

11. Loco Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells.....

13. Report of X-Ray Examination of Chest .....
.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate .....

Note :—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit vide regulation 9.

.....
.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

.....
.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note :—The Board should record their finding under one of the following three categories :

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

President .....

Member .....

Place .....

Date .....

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. Geological Survey of India

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examination and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India.

(i) Geologist (Junior) (Junior Scale)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Scale)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Director (Geology)—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Director (Selection Grade)—Rs. 14,300-400-18,300/-.

(v) Dy. Director General (Geology)—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Sr. Dy. Director General (Operation)—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(vii) Director General Rs. 26,000 fixed.

(d) Promotions to the higher grade of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.—

(2) Assistant Geologist Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-.

(d) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pensions are those described in all the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

2. Central Ground Water Board

(1) Scientist 'B' (Jr. Hg.) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Scientist 'B' (Jr. Hg.)—Rs. 8,000-275-13,500/-.

(ii) Scientist 'C' (Sr. Hg.)—Rs. 10,000-325-15,200/-.

(iii) Scientist 'D'—Rs. 12,000-375-16,500/-.

(iv) Regional Director—Rs. 14,300-400-18,300/-.

(v) Member—Rs. 18,400-500-22,400/-.

(vi) Chairman—Rs. 22,400-525-24,500/-.

(c) Promotions to the highest grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay—Rs. 7500-250-12000/-.

(c) Recruitment to the cadre of Scientist 'B' Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pensions are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologist are liable for Service anywhere in India or outside India.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1999
Printed by the Manager Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1999